सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 380 राँची, गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई, 2025

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 908--श्री मृत्युंजय कुमार (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था॰पद॰-02-02/2025 का॰ 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री कुमार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 909--श्रीमती जया शंखी मुरमु (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था॰पद॰-02-02/2025 का॰ 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्रीमती मुरमु को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 910--श्री ज्ञान शंकर जायसवाल (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था॰पद॰-02-02/2025 का॰ 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री जायसवाल को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 911--श्री प्रवीण चौधरी (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था॰पद॰-02-02/2025 का॰ 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री चौधरी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 912--श्री गौतम कुमार (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था॰पद॰-02-02/2025 का॰ 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, प॰सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री कुमार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 913--श्री संतोष कुमार (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था॰पद॰-02-02/2025 का॰ 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री कुमार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था॰)-10/2013(खण्ड-II)- 914--श्री महेश्वरी प्रसाद यादव (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था॰पद॰-02-02/2025 का॰ 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री यादव को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था॰)-10/2013(खण्ड-II)- 915--श्री हरिशंकर बारिक (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था॰पद॰-02-02/2025 का॰ 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री बारिक को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था॰)-10/2013(खण्ड-II)- 916--श्री उमेश मण्डल (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-2/स्था॰पद॰-02-02/2025 का॰ 4517, दिनांक-29.07.2025 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री मण्डल को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था॰)-10/2013(खण्ड-II)- 917--श्रीमती मारूति मिंज (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्रीमती मिंज को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था॰)-10/2013(खण्ड-II)- 918--श्री शैलेश कुमार प्रियदर्शी (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री प्रियदर्शी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड-II)- 919--श्री मिथिलेश कुमार चौधरी (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

2. श्री जय प्रकाश करमाली, जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका एवं श्रीमती मनीषा वत्स, जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ की सेवा कार्यहित में पैतृक विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार.
सरकार के संयुक्त सचिव ।
परिवहन विभाग ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 380 - 50